

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
अधिसूचना

पटना-15, दिनांक: 08.12.2025

संख्या-1/पी0-1012/2025-सा0प्र0-22829/श्री श्रीकान्त शास्त्री, भा.प्र.से. (2012), समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद को स्थानांतरित कर अगले आदेश तक समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, बेगूसराय के पद पर पदस्थापित करते हुए उन्हें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (एक्ट-46, 2023) की धारा-14 के अधीन संबंधित जिला का जिला दण्डाधिकारी भी नियुक्त किया जाता है।

संख्या-1/पी0-1012/2025-सा0प्र0-22830/श्री तरनजोत सिंह, भा.प्र.से. (2017), समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, मधेपुरा को स्थानांतरित कर अगले आदेश तक समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया के पद पर पदस्थापित करते हुए उन्हें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (एक्ट-46, 2023) की धारा-14 के अधीन संबंधित जिला का जिला दण्डाधिकारी भी नियुक्त किया जाता है।

संख्या-1/पी0-1012/2025-सा0प्र0-22831/श्री विवेक रंजन मैत्रेय, भा.प्र.से. (2017), समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, शिवहर को स्थानांतरित कर अगले आदेश तक समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, सिवान के पद पर पदस्थापित करते हुए उन्हें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (एक्ट-46, 2023) की धारा-14 के अधीन संबंधित जिला का जिला दण्डाधिकारी भी नियुक्त किया जाता है।

संख्या-1/पी0-1012/2025-सा0प्र0-22832/श्रीमती अभिलाषा शर्मा, भा.प्र.से. (2017), समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, अरवल को स्थानांतरित कर अगले आदेश तक समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद के पद पर पदस्थापित करते हुए उन्हें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (एक्ट-46, 2023) की धारा-14 के अधीन संबंधित जिला का जिला दण्डाधिकारी भी नियुक्त किया जाता है।

संख्या-1/पी0-1012/2025-सा0प्र0-22833/श्री आशुतोष द्विवेदी, भा.प्र.से. (2018), संयुक्त सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार-विशेष कार्य पदाधिकारी, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना/राज्य परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग, बिहार, पटना) को स्थानांतरित कर अगले आदेश तक समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, कटिहार के पद पर पदस्थापित करते हुए उन्हें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (एक्ट-46, 2023) की धारा-14 के अधीन संबंधित जिला का जिला दण्डाधिकारी भी नियुक्त किया जाता है।

संख्या-1 / पी0-1012 / 2025-सा0प्र0-22834 / श्रीमती प्रतिभा रानी, भा.प्र.से.(2018), परियोजना निदेशक, बिहार एड्स नियंत्रण सोसाइटी, पटना (अतिरिक्त प्रभार- मिशन निदेशक, जल-जीवन-हरियाली, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना) को स्थानांतरित कर अगले आदेश तक समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, शिवहर के पद पर पदस्थापित करते हुए उन्हें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (एक्ट-46, 2023) की धारा-14 के अधीन संबंधित जिला का जिला दण्डाधिकारी भी नियुक्त किया जाता है।

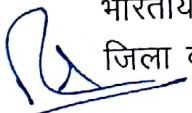
संख्या-1 / पी0-1012 / 2025-सा0प्र0-22835 / श्री वैभव श्रीवास्तव, भा.प्र.से.(2018), निदेशक, सूचना एवं जन-सम्पर्क, सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार-प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य संवाद समिति, पटना) को स्थानांतरित कर अगले आदेश तक समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, सारण, छपरा के पद पर पदस्थापित करते हुए उन्हें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (एक्ट-46, 2023) की धारा-14 के अधीन संबंधित जिला का जिला दण्डाधिकारी भी नियुक्त किया जाता है।

संख्या-1 / पी0-1012 / 2025-सा0प्र0-22836 / श्री विनोद दूहन, भा.प्र.से.(2018), निदेशक, खान, खान एवं भू-तत्व विभाग, बिहार, पटना को स्थानांतरित कर अगले आदेश तक समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, अररिया के पद पर पदस्थापित करते हुए उन्हें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (एक्ट-46, 2023) की धारा-14 के अधीन संबंधित जिला का जिला दण्डाधिकारी भी नियुक्त किया जाता है।

संख्या-1 / पी0-1012 / 2025-सा0प्र0-22837 / श्री अभिषेक रंजन, भा.प्र.से.(2018), निदेशक, मत्स्य, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना को स्थानांतरित कर अगले आदेश तक समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, मधेपुरा के पद पर पदस्थापित करते हुए उन्हें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (एक्ट-46, 2023) की धारा-14 के अधीन संबंधित जिला का जिला दण्डाधिकारी भी नियुक्त किया जाता है।

संख्या-1 / पी0-1012 / 2025-सा0प्र0-22838 / श्री शेखर आनन्द, भा.प्र.से.(2018), निदेशक, तकनीकी विकास, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को स्थानांतरित कर अगले आदेश तक समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, शेखपुरा के पद पर पदस्थापित करते हुए उन्हें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (एक्ट-46, 2023) की धारा-14 के अधीन संबंधित जिला का जिला दण्डाधिकारी भी नियुक्त किया जाता है।

संख्या-1 / पी0-1012 / 2025-सा0प्र0-22839 / श्रीमती अमृषा बैस, भा.प्र.से.(2018), विशेष कार्य पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना को स्थानांतरित कर अगले आदेश तक समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, अरवल के पद पर पदस्थापित करते हुए उन्हें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (एक्ट-46, 2023) की धारा-14 के अधीन संबंधित जिला का जिला दण्डाधिकारी भी नियुक्त किया जाता है।



संख्या-1/पी0-1012/2025-सा0प्र0-22840/श्रीमती साहिला, भा.प्र.से. (2018), निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को स्थानांतरित कर अगले आदेश तक समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, बक्सर के पद पर पदस्थापित करते हुए उन्हें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (एक्ट-46, 2023) की धारा-14 के अधीन संबंधित जिला का जिला दण्डाधिकारी भी नियुक्त किया जाता है।

संख्या-1/पी0-1012/2025-सा0प्र0-22841/श्री नितिन कुमार सिंह, भा.प्र.से. (2018), निदेशक, कृषि, कृषि विभाग, बिहार, पटना को स्थानांतरित कर अगले आदेश तक समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, कैमूर (भभुआ) के पद पर पदस्थापित करते हुए उन्हें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (एक्ट-46, 2023) की धारा-14 के अधीन संबंधित जिला का जिला दण्डाधिकारी भी नियुक्त किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से



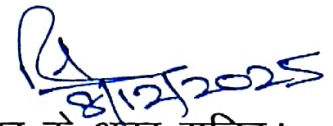
(सिद्धेश्वर चौधरी)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक:-1/पी0-1012/2025- सा0प्र0-22841/पटना-15, दिनांक: 08.12.2025

प्रतिलिपि:- प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित (द्वारा- आई0टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग)/ सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, कर्तव्य भवन, नई दिल्ली कैरियर मैनेजमेंट डिविजन, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, कर्तव्य भवन, नई दिल्ली /स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, कौटिल्य मार्ग, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली/महालेखाकार (ले. एवं ह.), बिहार, पटना/राज्यपाल के प्रधान सचिव, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना/मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव, मुख्य मंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/संबंधित विभाग/संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त/संबंधित कार्यालय/संबंधित पदाधिकारी/अवर सचिव(वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग), वित्त विभाग, बिहार, पटना/भू-संपदा पदाधिकारी, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना/मुख्य सचिव, बिहार के गोपनीय कोषांग, कम्प्यूटर सेल/आई0टी0 मैनेजर सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना (विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं वित्त विभाग को सी0डी0 के साथ उपलब्ध कराने हेतु)/सामान्य प्रशासन विभाग के प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-01 एवं 06 को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. वैसे जिला पदाधिकारी, जिनका प्रासंगिक अधिसूचना द्वारा स्थानांतरण/ पदस्थापन नहीं हुआ है, वे सभी सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना में योगदान देकर अन्यत्र पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत रहेंगे।



सरकार के अवर सचिव।

3/3

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
अधिसूचना

पटना-15, दिनांक: 08.12.2025

संख्या-1/पी0-1005/2025-सा0प्र0-22842/श्री के. सेंथिल कुमार, भा.प्र.से. (1996), प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना(अतिरिक्त प्रभार-सचिव, बिहार राज्य योजना पर्षद, पटना/परियोजना निदेशक, बिहार आपदा पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण सोसाइटी, पटना) अगले आदेश तक प्रधान सचिव, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, महादलित विकास मिशन, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम लिमिटेड, पटना के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे।

संख्या-1/पी0-1005/2025-सा0प्र0-22843/श्री पंकज कुमार पाल, भा.प्र.से. (2002), सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना अगले आदेश तक सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।

संख्या-1/पी0-1005/2025-सा0प्र0-22844/श्री अभय कुमार सिंह, भा.प्र.से. (2004), सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार-सचिव, सूचना प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड-बेल्ट्रॉन, पटना/प्रबंध निदेशक, पटना मेट्रो रेल निगम लिमिटेड) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

2. श्री सिंह अगले आदेश तक सचिव, सूचना प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना एवं प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड -बेल्ट्रॉन के अतिरिक्त प्रभार में पूर्ववत् बने रहेंगे।

संख्या-1/पी0-1005/2025-सा0प्र0-22845/श्री दिवेश सेहरा, भा.प्र.से. (2005), सचिव, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, महादलित विकास मिशन, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम लिमिटेड, पटना/जांच आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/सचिव-सह-खान आयुक्त, खान एवं भू-तत्व विभाग, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खनन निगम लिमिटेड, पटना) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

2. श्री सेहरा अगले आदेश तक जांच आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/सचिव-सह-खान आयुक्त, खान एवं भू-तत्व विभाग, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खनन निगम लिमिटेड, पटना के अतिरिक्त प्रभार में पूर्ववत् बने रहेंगे।

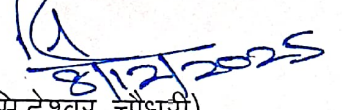
3. श्री सरवणन एम., भा.प्र.से.(2002) को सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार-जांच आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना) के पदीय दायित्वों से मुक्त किया जाता है।

उपर्युक्त व्यवस्था के आलोक में श्री सरवणन एम. सामान्य प्रशासन विभाग में योगदान देंगे।

संख्या-1 / पी0-1005 / 2025-सा0प्र0-22846 / श्री संदीप कुमार आर. पुडकलकट्टी, भा.प्र.से. (2006), सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार-जांच आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

2. श्री पुडकलकट्टी अगले आदेश तक प्रबंध निदेशक, पटना मेट्रो रेल निगम लिमिटेड के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।

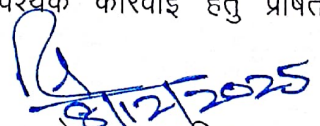
बिहार राज्यपाल के आदेश से


(सिद्धेश्वर चौधरी)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक:-1 / पी0-1005 / 2025-सा0प्र0-22846 / पटना-15, दिनांक : 08.12.2025

प्रतिलिपि:- प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित (द्वारा-आई0टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग)/सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, कर्तव्य भवन-03, नई दिल्ली/कैरियर मैनेजमेंट डिविजन, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, कर्तव्य भवन-03, नई दिल्ली/स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, कौटिल्य मार्ग, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली/महालेखाकार(ले. एवं ह.), बिहार, पटना/राज्यपाल के प्रधान सचिव, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना/मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, निर्वाचन विभाग, बिहार, पटना /मुख्य मंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/संबंधित विभाग/संबंधित कार्यालय/संबंधित पदाधिकारी/अवर सचिव(वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग), वित्त विभाग, बिहार, पटना/भू-संपदा पदाधिकारी, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/ मुख्य सचिव के आप्त सचिव, बिहार, पटना/मुख्य सचिव, बिहार के गोपनीय कोषांग, कम्प्यूटर सेल /आई0टी0 मैनेजर सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना (विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं वित्त विभाग को सी0डी0 के साथ उपलब्ध कराने हेतु)/सामान्य प्रशासन विभाग के प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-01 एवं 06 को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के अवर सचिव।